न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	गत अपील सं0	गत दर्ज दिनांक	नवीन अपील सं0	नवीन दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	26/24	07.10.24	01/25(2025/1)	15.01.2025	22.12.2025	1 लगायत 3

1. रविन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री जुगल किशोर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम छावा तहसील गंगापुर सिटी ।
–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–
अपीलार्थी की औंर से :– विद्वान अभिभाषक श्री भानू कुमार सिंघल ।
रेस्पोडेन्ट की औंर से :– पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 43/2024 में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम छाबा के आराजी ख0नं0 187 रकबा 40 वाई 40 वर्ग फीट 0.0016 है0 किस्म बारानी–1 पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि पटवारी हल्का चूली ने अपीलार्थी के विरूद्ध एक रिपोर्ट भूमि खं0नं0 187 में 0.0016 है0 किस्म भूमि बारानी–1 वाके ग्राम छावा पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से पक्का मकान बनाकर अतिकमण कर कब्जा कर लिया है, से सम्बन्धित नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत की। लेकिन तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व सबूतों पर गौर किये बिना मनमाना आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को गलत तरीके से बेदखल [illegible] लगान की 50 गुना शास्ति 50/–रू0 से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 10.09.2024 को [illegible] है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.09.2024 पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] विधि के वि[illegible] होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी [illegible] अतिकमी मानने में भारी कानूनी [illegible] है। प्रार्थी कोई अतिकमी की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त वादग्रस्त भूमि [illegible]र श्री सालिगराम जी की [illegible]दारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

भूमि है, जिसमें सालिगराम जी भगवान का मन्दिर बना हुआ है तथा मन्दिर के पास ही शुरू से ही पुजारी का आवास रहा है। उक्त वाद आराजीयात के संबंध में एक अपील मंदिर श्री सालिंगराम बनाम भूरामल व अन्य अपील सं0 57/24 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 25.08.2025 को " न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण सं0 97/22 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.24 को निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात खं0नं0 187 रकबा 0.87 है0, 45 रकबा 0.59 है0, 46 रकबा 0.37 है0, 47 रकबा 0.36है0, 725 रकबा 0.64है0 ग्राम छावा तहसील गंगापुर सिटी की मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे तथा विवादित आराजीयात के अपीलांट के हिस्से 1/2 भाग में रेस्पों0 एवं रेस्पों के हिस्से 1/2 भाग में अपीलान्ट किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावे " निर्णय पारित किया गया है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है।न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के मु0नं0 57/24 (2024/116) उनवान मंदिर श्री सालिंगराम बनाम भूरामल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विवादित भूमि खं0नं0 187 पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। जिसमें अपीलान्ट मंदिर श्री सालिंगराम विराजमान छावा की बगीची जरिये वाद मित्र नन्दकिशोर पुत्र रूपनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी छाबा की बगीची तहसील गंगापुर सिटी व रेस्पोडेन्ट सं0 1 भूरामल पुत्र जुगलकिशोर, 2 गगन पुत्र भूरामल, 3 केशव पुत्र जुगलकिशोर, 4 रविन्द्र पुत्र जुगलकिशोर, 5 ओमप्रकाश पुत्र कल्याण, 6 सत्यनारायण पुत्र ओप्रकाश पक्षकार है, अर्थात तहसीलदार/भू–धारक पक्षकार नहीं है। जबकि [illegible] राजस्व अधिनियम के तहत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा कार्यवाही की गई है चुकि [illegible] विवादित भूमि राजकीय भूमि है। ऐसी स्थिती में पृथक से हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतएवः परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेशित किया जाता है कि अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमी को बेदखली हेतु गुणावगुण पर तहसीलदार /भू–धारक को अधिकृत किया गया हैं। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर उभय पक्ष की सम्यक् रूप से सुनवाई कर अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु राजस्व अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested